सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 901 राँची, बुधवार, 13 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

6 नवम्बर, 2019

संख्या-5/आरोप-1-25/2015 का० 8873-- श्री अब्राहम रौना, सेवानिवृत्त झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-162/03, गृह जिला- राँची), के प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित आवास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-327, दिनांक 01.05.2015 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

1. अरगोड़ा, राँची स्थित अल्प आय वर्गीय मकान सं०-LRA/51, जिसे बिहार राज्य आवास बोर्ड के पत्रांक-4016/आ०, दिनांक-07.12.2002 द्वारा आवंटन रद्द कर दिया गया था, को श्रीमती प्रसन्ना नारायण को लाभ पहुँचाने की मंशा से झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड की 20वीं बैठक की कार्यावली सं०-16 का बिना पालन किये यानी बिना अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये ही अपने स्तर से दिनांक-30.01.2008 को पुनर्जीवित कर दिया गया।

2. श्रीमती प्रसन्ना नारायण द्वारा दाखिल शपथ-पत्र एवं राशन कार्ड के छायाप्रति का सूक्ष्म जाँच किये बिना ही रद्द सम्पदा के आवंटन आदेश को पुनर्जीवित कर दिया गया।

3. हरमू, राँची स्थित उच्च आय वर्गीय भूखंड सं०-H/1 का आवंटन आदेश निर्गत करने संबंधी डॉ० राम स्वरूप राम रवि के आवेदन पत्र पर विचारोपरांत स्वयं श्री रौना द्वारा दिनांक-23.02.2007 को पारित आदेश से यह कहते हुए रद्द मानना बेहतर बताया गया कि आवंटन वर्ष 1990 में हुआ, 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार राज्य आवास बोर्ड से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः इसे रद्द ही माना जाना बेहतर है। लेकिन कालांतर में व्यक्ति विशेष को नाजायज लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से श्री रौना द्वारा दिनांक-30.01.2008 को पारित आदेश से वर्णित भूखण्ड का आवंटन अवैध एवं अनियमित तरीके से डॉ० राम स्वरूप राम रवि के नाम कर दिया गया।

4. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड विनियमावली, 2004 के नियम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उल्लंघन करते हुए दिनांक-18.02.2008 को आवंटन आदेश श्री एम०एस० भाटिया, भा०पु०से०, तत्कालीन वरीय आरक्षी अधीक्षक, राँची के नाम आवंटन आदेश सं0-448/आ0, दिनांक-25.02.2008 से आवंटित किया गया, जो बिल्कुल अवैध है।

5. झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड विनियमावली, 2004 के नियम-30(ग) एवं 2(xxxi) का उल्लंघन करते हुए तथ्य को छुपाकर दिनांक-29.01.2008 एवं 05.02.2008 को अस्पष्ट टिप्पणी अंकित करते हुए दिनांक-18.02.2008 को आवंटन आदेश श्री रणजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन थाना प्रभारी, अरगोड़ा के नाम आवंटन आदेश सं०-448/आ०, दिनांक-25.02.2008 से आवंटित किया गया, जो बिल्कुल अवैध है।

6. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को बोर्ड की 20वीं बैठक दिनांक-08.11.2007 के पूरक कार्यावली सं०-12 में लिये गये निर्णय की गलत व्याख्या कर मध्यम आय वर्गीय मकान M/2(DS) एवं M/5 (DS) भवन के बीच खाली भूखण्ड आवंटन आदेश सं०-134/आ०, दिनांक-16.01.2008 से बिल्कुल अनियमित एवं अवैध तरीके से आवंटित कर दिया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-4665, दिनांक 27.05.2015 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा श्री तिर्की से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी श्री रौना के पत्र, दिनांक 18.06.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री रौना के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6715, दिनांक 04.08.2016 द्वारा नगर विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी परन्तु नगर विकास विभाग, झारखण्ड का मंतव्य अप्राप्त रहा।

श्री रौना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या-8140, दिनांक 17.07.2017 द्वारा श्री रौना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-87, दिनांक 15.04.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री रौना के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

समीक्षोपरांत, श्री रौना के मामले में पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् चलाई गई विभागीय कार्यवाही को कालबाधित माना जाय या नहीं के संबंध में विधि विभाग, झारखण्ड, राँची से परामर्श की माँग की गई, जिसके आलोक विधि विभाग, झारखण्ड द्वारा निम्नवत् मंतव्य दिया गया-

"श्री रौना के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी ने श्री रौना के विरूद्ध सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया है। चूँकि प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही प्रशासी विभाग के समक्ष विचाराधीन है, ऐसे में उक्त पर प्रशासी विभाग को स्वयं निर्णय लेने का परामर्श दिया जा सकता है।"

विधि विभाग, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री रौना के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम-139 के अन्तर्गत कार्रवाई के बिन्दु पर पुनः विधि विभाग, झारखण्ड से परामर्श प्राप्त किया गया। उक्त के आलोक में विधि विभाग द्वारा विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची का परामर्श उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है-

"I have perused the file and have gone through the records. It transpires from the records that Mr. Abraham Raona, the then Managing Director, JSHB has been served izi=&^d* on 27.05.2015 for the alleged misconduct pertaining to the period 2007-08. It further transpires that Mr. Raona has superannuated w.e.f. 30.06.2011 and his pension has been sanctioned on 17.07.2012.

Now the only issue to be answered is whether any action can be taken against Mr. Raona under Jharkhand Pension Rules for his alleged misconduct committed during the 2007-08. Any action against a retired employee for his alleged misconduct has to be taken under Rule 43(B) of the Jharkhand Pension Rule, however the proviso to said Rule is very clear that in case of retired employee a proceeding can be conducted in respect of an event which took place not more than four years before the institution of such proceeding. The Explanation (a) to Rule 43 further provides that the departmental proceeding shall be deemed to have been instituted when the charges framed, against the pensioner are issued to him. In the instant matter the event is of 2007-08 where as the charge sheet has been issued on 27.05.2015. Hence the proposed action is directly hit by proviso (a) (ii) of Rule 43(b) of the Jharkhand Pension Rule as because the event which attracts action against the concerned employee is much beyond 4 years from the date of institution of proceeding.

The other provision under Rule 139(c) of the Jharkhand Pension Rule gives power to the State Government to revise the pension if service of the pensioner was not thoroughly satisfactory. However there is a restriction under the said Rule that no such power shall be exercised after the expiry of three years from the date of the order sanctioning the pension was first passed. In the case of Mr. Raona the pension has been sanctioned on 17.07.2012. Hence the period of 3 years has been passed much earlier. In the view of the aforesaid discussion the department may take final decision."

अतः विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श एवं मामले के समीक्षोपरांत श्री अब्राहम रौना, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची के विरूद्ध इस मामले को **संचिकास्त** किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 901 -- 50